न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 70/2019

निर्णय दिनांक 23.12.2019

बुधाराम पुत्र देदाराम मेघवाल निवासी शेंरूणा तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

-------वादीगण

बनाम

1 कमला पत्नी स्व. भागाराम 2 बुधाराम 3 मघाराम 4 रामलाल पुत्रगण स्व. भागाराम 5 कानाराम 6 चूनाराम 7 मोहनराम पुत्रगण स्व हुक्माराम 8 चुन्नीदेवी पत्नी यरव. प्रभूराम 9 धर्माराम 10 संतलाल 11 राजू पुत्र पुत्री स्व प्रभूराम जाति नायक निवासीगण समन्दसर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 12 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

---प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1. श्री ललितकुमार मारू अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. श्री मनोज जाट अधिवक्ता प्रतिवादी 1,2,4,5,7,8,9 की तरफ से ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में बुधाराम ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 246 तादादी 7.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 404 तादादी 10.42 हैक्टयर व खसरा नम्बर 778 तादादी 7.88 हैक्टयर वाके रोही समन्दसर तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित है । उपरोक्त खसरा नम्बर 246, 404 में वादी के नाम 1/8 हिस्से की खातेदारी व खसरा नम्बर 778 में वादी के नाम 113/192 हिस्से की खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है । वादगत खेतों में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त चली आ रही है लेकिन वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी हिस्सा पांति व बंटवारा किया हुआ है जिसके मुताबिक वादी अपनी कुल खातेदारी हिस्से के अनुसार खेत खसरा नम्बर 778 की 6.86 हैक्टयर भूमि पर काबिज चला आ रहा है । इस खसरा की शेष भूमि व अन्य खसरान की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है । वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी संयुक्त चले आने से वादी अपनी इच्छानुसार अपनी कृषि भूमि में विकास कार्य नहीं करवा पा रहा है । वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो वादगत खसरान भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वादी की खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवा लेवे परन्तु प्रतिवादीगण दिनांक 10.6.2019 को सहमति से खाता विभाजन करवाने से साफ इंकार हो गये । वादी अपनी खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने का अधिकार रखता है । यही दावा का आधार व वादकरण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त है । अतः वाद पेश कर निवेदन किया है कि दावा बहकवादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावें:

(क) खेत खसरा नम्बर 246 तादादी 7.37 हैक्टयर, खेत खसरा नम्बर 404 तादादी 10.43 हैक्टयर वाके रोही समन्दसर में वादी का 1/8 हिस्सा व खसरा नम्बर 778 तादादी 7.88 हैक्टयर तादादी 6.70 हैक्टयर रोही समन्दसर में वादी 113/192 हिस्सा तदनुसार वादी की कुल खातेदारी भूमि 6.86 हैक्टयर भूमि का खाता विभाजन वादी के मौखिक हिस्से पांति में आये खेत खसरा नम्बर 778 में 6.86 हैक्टयर भूमि का खाता विभाजन कर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की डिक्री जारी

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरगढ (बीकानेर)

की जावें । तदनुसार नक्शा अक्स में भी तरमीम कर वादी का हिस्सा अलग दर्शाया जावें ।

(ख) प्रतिवादीगण को चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 778 में 6.86 हैक्टयर वाके रोही समन्दसर जो कि वादी के हिस्से व कब्जा काश्त में चली आ रही है की भूमि को रहन, बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल ना करे, ना ही वादी को काश्त करने से रोके, ना ही वादी के कब्जा काश्त में दखअन्दाजी करें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5,7,8,9 की तरफ से जवाब पेश हुआ कि प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण ने वादी को खाता विभाजन के लिए कभी मना नहीं किया है । वादी के कब्जे काश्त व हिस्से पांति के खेत खसरा नम्बर 778 कुल तादादी 7.87 हैक्टयर में से 6.86 हैक्टयर भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज कर खाता विभाजन कर दिया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । अतः इकबाल दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री फरमाया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया । जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया पुराना 410, 377 के खेत खसरा नम्बर 246 तादादी 7.3700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 404 तादादी 10.4300 हैक्टयर एवं खाता संख्या नया पुराना 297, 268 के खेत खसरा नम्बर 778 तादादी 7.8800.हैक्टयर वाके रोही समन्दसर तहसील श्री डूँगरगढ के रिकार्डेड खातेदार है । अभी तक वादी प्रतिवादी का खाता विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 246 तादादी 7.37 हैक्टयर, खेत खसरा नम्बर 404 तादादी 10.43 हैक्टयर वाके रोही समन्दसर में वादी का 1/8 हिस्सा व खसरा नम्बर 778 तादादी 7.88 हैक्टयर तादादी 6.70 हैक्टयर रोही समन्दसर में वादी का 113/192 हिस्सा भूमि का खाता विभाजन किया जाता है । शेष प्रतिवादी का खाता यथावत रखा जाता है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, वादी प्रतिवादी के कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । प्राथमिक डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)

डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल आरएएस..

बुधाराम पुत्र देदाराम मेघवाल निवासी शेरूणा तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर बनाम कमला वगैरहा

मुकदमा नम्बर 70/2019 निर्णय दिनांक 23.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री ललितकुमार मारू अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की तरफ से मनोज जाट अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 246 तादादी 7.37 हैक्टयर, खेत खसरा नम्बर 404 तादादी 10.43 हैक्टयर वाके रोही समन्दसर में वादी का 1/8 हिस्सा व खसरा नम्बर 778 तादादी 7.88 हैक्टयर तादादी 6.70 हैक्टयर रोही समन्दसर में वादी का 113/192 हिस्सा भूमि का खाता विभाजन किया जाता है । शेष प्रतिवादी का खाता यथावत रखा जाता है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, वादी प्रतिवादी के कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें ।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ...0..फीसदी सालाना आज को जारी.........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह दिसम्बर सन् 2019 को जारी किया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	व	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कनिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
.2020	तहसीलदार, श्री डूँगरगढ़ ने अपने पत्र कमांक 1031 दिनांक 29.7.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई । तहसीलदार ने खेत खसरा नम्बर 246 तादादी 7.37 हैक्टयर, खेत खसरा नम्बर 404 तादादी 10.43 हैक्टयर, खसरा नम्बर 778 तादादी 7.88 हैक्टयर वाके रोही समन्दरसर के खाता विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर वादी प्रतिवादी का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–	

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	बुधाराम पुत्र देदाराम मेघवाल साकिन शेरूणा खातेदार	778 मिन (उत्तरी–पश्चिमी)	6.8600	बारानी	6.86
2	कमला पत्नी स्व भागाराम हि. 3/79, कानाराम पुत्र हुक्माराम हि. 16/79, चुनाराम पुत्र हुक्माराम हि. 24/79 चुन्नीदेवी पत्नी स्व. प्रभूराम हि. 3/79, धर्माराम पुत्र प्रभुराम हि. 3/79, बुधाराम पुत्र भागाराम हि. 6/79, मघाराम पुत्र भागाराम हि. 6/79, राजू पुत्री प्रभूराम हि. 6/79, रामलाल पुत्र भागाराम हि. 6/79, सन्तलाल पुत्र प्रभूराम हि. 6/79 जाति नायक सा. देह खातेदार	778 मिन (दक्षिणी पूर्वी)	1.0200	बारानी	1.02
3	कमला पत्नी स्व. भागाराम हि. 1754/17800, कानाराम पुत्र हुक्माराम हि. 3788/17800, चुनाराम पुत्र हुकमाराम हि. 2900/17800, चुन्नीदेवी पत्नी स्व. प्रभूराम हि. 1754/17800, धर्माराम पुत्र प्रभूराम हि. 641/17800, बुधाराम नुत्र भागाराम हि. 725/17800, मघाराम पुत्र भागाराम हि. 725/17800,मोहनराम पुत्र हुकमाराम हि. 3338/17800, राजू पुत्रीप्रभूराम हि. 725/17800, रामलाल पुत्र भागाराम हि. 725/17800, सन्तलाल पुत्र प्रभूराम हि. 725/17800 जाति नायक सा देह खातेदार	246 404	7.3700 10.4300	बारानी बारानी	7.37 10.43
	योग	किता 2	17.8000	बारानी	17.80

अन्तिम डिकी जारी हों । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ